यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी** के माह 04/2014 से 11/2016 तक के अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रविन्द्र कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अरविन्द्र शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं आशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा द्वारा दिनांक 03.12.2016 से 16.12.2016 तक श्री राकेश कुमार, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 30.08.2014 से 10.09.2014 तक श्री महेन्द्र तिवारी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2011 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2014 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- पेयजल योजनाओं का रखरखाव, मरम्मत एवं राजस्व वसूली संबंधी कार्य। न्यू टिहरी, चम्बा, नरेन्द्र नगर, गज्जा, नैनबाग, थत्यूड, प्रतापनगर, थौलधार एवं जाखणीधर केन्द्र।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आंवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आंवटन	व्यय	आंवटन	व्यय		
2013-14	66.00	101.69	538.11	513.69	705.40	592.72	0	304.79
2014-15	90.42	214.37	871.91	695.95	1261.28	1398.51	0	253.52
2015-16	176.38	77.14	733.49	831.21	766.67	790.67	0	131.80

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	योग	व्यय	अवशेष
2013-14	NRDWP	0	50.00	50.00	49.84	0.16
2014-15	NRDWP	0.16	61.93	62.09	62.09	0
2015-16	NRDWP	0	273.70	273.70	258.61	15.09

(III) इकाई को बजट आवंटन केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई **अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी** (अ) श्रेणी की है।

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी** की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 09/2014 एवं माह 08/2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। इकाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट माह 03/2015, 03/2016 एवं माह 11/2016 के अनुसार मरम्मत कार्यों का प्रतिचयन किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-III

1- विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या	STAN
02/2010-11	1,2	1	-
92/2014-15	1	1,2,3	-

2. विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
------ शून्य------				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्यः- शून्य

भाग-दो(अ)

प्रस्तर-1- ` 2.02 करोड़ जल मूल्य की वसूली न किया जाना।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 59 के अनुसार जल संस्थान गजट में अधिसूचना जारी कर आपूर्तित किए जाने वाले पेयजल की प्रत्येक जल संयोजन हेतु न्यनूतम लागत निर्धारित करेगा, तथा अधिनियम की धारा 64 के अनुसार जल कर की वसूली करेगा। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश (जनवरी 2013) के अनुसार देयक का भुगतान न करने की स्थिति में विलम्ब अवधि के लिए 5 प्रतिशत मासिक दर से विलम्ब शुल्क लिया जाना था। जिसे अगस्त 2015 से घटा कर 1.50 प्रतिशत कर दिया गया था।

जल संस्थान टिहरी द्वारा 13443 घरेलू एवं 872 अघरेलू जल संयोजनों का संचालन किया जा रहा था। डिविजन के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि अक्टूबर 2016 के अंत में ` 2.02 करोड़ जलमूल्य की धनराशि उपभोक्ताओं से वसूली हेतु लम्बित थी। आगे, अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उपभोक्ता जिनके विरूद्ध ` 2.02 करोड़ जलमूल्य की धनराशि वसूली हेतु लंबित थी, के सापेक्ष केवल 26 संयोजन विच्छेदित किए गए थे। इस प्रकार जिन उपभोक्ताओं द्वारा जलमूल्य का भुगतान नहीं किया जा रहा था, जल संस्थान द्वारा न तो उनके जल संयोजन काटे गए थे और न ही जल कर की वसूली हेतु ठोस कार्यवाही की गयी थी। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियन्ता ने उत्तर दिया कि दोषी उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जाते हैं, तथा समय-समय पर संयोजनों के विच्छेदन की कार्यवाही की जाती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोषी उपभोक्ताओं में से केवल 26 संयोजन ही विच्छेदित किए गए थे एवं जलमूल्य की वसूली हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस प्रकार जल मूल्य की वसूली में बरती गयी उदासीनता के कारण ` 2.02 करोड़ जल मूल्य की धनराशि उपभोक्ताओं से वसूली हेतु लंबित थी।

अतः जर संस्थान न्यू टिहरी द्वारा ` 2.02 करोड़ जल मूल्य की वसूली न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- वित्तीय वर्ष 2015-16 तक खंड का ` 19.51 करोड़ के घाटे में रहना।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 40 एवं 42 के अनुसार जल निगम की अपनी एक निधि होगी जिसे निगम निधि कहा जाएगा जिसमें सभी प्राप्त धनराशियों को जमा किया जाएगा। निगम अपनी निजी आय से अपना संचालन करेगा सरकार उसे कोई बजट या अनुदान उपलब्ध नहीं कराएगी। निगम की आय का प्रमुख स्रोत डिपोजिट एवं अन्य कार्यों से प्राप्त सेंटेज चार्जेज की धनराशि है। अधिनियम के प्रविधान के अनुसार निगम को अपनी आय के स्रोतों से ही डिविजन के संचालन हेतु निधियों की व्यवस्था करनी चाहिए। डिविजन के 2014-15 की बेलेन्स शीट के अनुसार मार्च 2015 तक डिविजन ` 15.34 करोड़ के घाटे में थी। अभिलेखीय संवीक्षा में पाया गया कि 2015-16 में ` 3.85 करोड़ की आय के सापेक्ष ` 8.02 करोड़ का व्यय किया गया। इस तरह उक्त वित्तीय वर्ष में ` 4.17 करोड़ का घाटा हुआ। आगे, डिविजन के लेखों की जांच में पाया गया कि डिविजन का घाटा प्रतिवर्ष निरंतर बढ़ रहा था, जैसा कि निम्न तालिका में दिये गए विवरण से स्पष्ट हैः

(धनराशि ` करोड़ में)

वर्ष	सभी स्रोतों से आय	व्यय धनराशि	आय से अधिक व्यय (Surplus)
2014-15	3.78	6.31	2.52
2015-16	3.85	8.02	4.17
2016-17 (माह नवम्बर तक)	1.33	4.53	3.20

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाये गए विवरण से स्पष्ट है कि डिविजन निरंतर घाटे में चल रही थी जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2016 के अंत तक वित्तीय घाटा ` 19.51 करोड़ तक पहुँच गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता ने उत्तर दिया कि परिचालन व्यय का आय से अधिक होना घाटे का प्रमुख कारण है, जल संयोजनों की संख्या में वृद्धि के प्रयास किए जाते हैं, जिससे की राजस्व में वृद्धि हो सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डिविजन द्वारा अपनी आय के स्रोतों को बढाने हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए, जैसा कि अक्टूबर 2016 तक ` 2.02 करोड़ के जलमूल्य की राशि वसूली हेतु लंबित थी। इस प्रकार डिविजन अपने संचालन हेतु पर्याप्त धनराशि जुटाने में असफल थी। विगत वर्षों से डिविजन के निरंतर घाटे में संचालित किए जाने के कारण 2015-16 के अंत तक डिविजन ` 19.51 करोड़ के घाटे में थी।

अतः डिविजन को निरंतर घाटे में संचालित किए जाने के कारण 2015-16 के अंत तक डिविजन को हुए ` 19.51 करोड़ के घाटे का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- प्रत्याभूमि जमा के अंतर्गत अदावाकृत ` 5.75 लाख की धनराशि समायोजित कर सुंसगत राजस्व शीर्ष में स्थानांतरित न किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-VI के प्रस्तर 622 के अनुसार यदि पांच रूपये से कम की कोई निक्षेप राशि जो एक लेखा वर्ष तक अदावाकृत हो व अन्य सभी निक्षेप एवं बचत जो तीन लेखा वर्ष तक अदावाकृत हो तो उसे मार्च के अंत में सुंसगत राजस्व शीर्ष में ले लेना चाहिये। अभिलेखों की संवीक्षा और इकाई द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना के अनुसार मार्च 2016 के अंत में ठेकेदारों से प्रत्याभूति के रूप में प्राप्त ` 6.00 लाख की धनराशि खंड के पास अवरूद्ध पड़ी हुई थी। आगे अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि उक्तधनराशि में से ` 5.75 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान ठेकेदारों से प्रत्याभूति के रूप में प्राप्त की गयी थी, जो तीन पूर्ण वित्तीय वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद अदावाकृत थी और उसे सुसंगत राजस्व शीर्ष में नहीं लिया गया था। इस प्रकार ` 5.75 लाख की धनराशि को राजस्व शीर्ष में लिए जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। इस संबंध में सम्प्रेक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता ने उत्तर दिया कि उक्त धनराशि को सुसंगत राजस्व शीर्ष में स्थानांतरित कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

अतः प्रत्याभूति जमा के अंतर्गत अदावाकृत पड़ी हुई ` 5.75 लाख की धनराशि को समायोजित कर सुसंगत राजस्व शीर्ष में स्थानांतरित न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-3- अमान्य निविदा के आधार पर ` 4.64 लाख का मरम्मत कार्य कराया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार आमंत्रित निविदा में कम से कम तीन निविदाऐं प्राप्त किया जाना चाहिये, साथ ही आमंत्रित निविदा प्रपत्र के साथ 2 प्रतिशत धरोहर राशि एफ.डी.आर./सी.डी.आर. अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा दिनांक 09.01.2015 के माध्यम से जौनपुर ब्लांक के दड़क पल्ली, पेयजल योजना की मरम्मत हेतु ` 4,63,536 की लागत से आमंत्रित निविदा के अनुक्रम में तीन पंजीकृत ठेकेदारों क्रमशः श्री प्रेम चन्द्र राणा, श्री कमल नयन उनियाल एवं श्री सुन्दर सिंह नेगी द्वारा अपने निविदा प्रपत्र प्रस्तुत किये गये, जिसमें श्री सुन्दर सिंह नेगी द्वारा अग्रिम धरोहर राशि (एफ.डी.आर./सी.डी.आर. के रूप में) निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं किये जाने के कारण वे निविदा हेतु अपात्र हो गये थे। इसके बावजूद उनकी निविदा को स्वीकारते हुये उनके तुलनात्मक विवरण में शामिल किया गया जबकि निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि संलग्न किया जाना अनिवार्य था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि नियमानुसार तीन निविदाऐं ही प्राप्त की गयी थी परंतु एक निविदा दाता द्वारा धरोहर राशि निविदा के साथ संलग्न नहीं की गयी परन्तु उसके बाद भी उसकी दरों को सम्मिलित करते हुए तुलनात्मक विवरण बनाया गया एवं न्यूनतम दर उल्लिखित करने वाल निविदा दाता से ही अधिप्राप्ति की गई। अतः कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिप्राप्ति नियमावली के विपरीत अमान्य वित्तीय दाता के निविदा प्रपत्र को निविदा प्रक्रिया में शामिल कर तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया एवं उक्त मरम्मत कार्य के आबंटित किया गया।

अतः ` 4.64 लाख की लागत का अमान्य निविदा प्रक्रिया के आधार पर कार्य कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(अ) शून्य

(I) **अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

3. सतत् अनियमितताएः-

(अ) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री पी.एस. पवार	अधिशासी अभियन्ता	19.06.12 से 31.07.15
2.	श्री नमित रमोला	अधिशासी अभियन्ता	01.08.2015 से लगातार

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)